न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस एक्ट, बेगूसराय।

सत्र वाद सं0–99/2023

बिहार राज्य बनाम मो0 तिजामुल

उपस्थित–महेश प्रसाद सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट।

22-04-2024

वाद में आज तिथि नियत है। एक अभियुक्त की हाजरी है एवं दो अभियुक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे आज भर के लिये स्वीकृत किया जाता है। यह वाद आज अभियुक्त मो0 तिजामुल की तरफ से दिनांक 18.02.2022 को दाखिल उन्मोचन आवेदन पर प्रत्युत्तर एवं सुनवाई हेतु नियत है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन प्रचालित करते हुये निवेदन करते हैं कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है एवं उसे इस वाद में मिथ्या फंसाया गया है। वाद दैनिकी में आवेदक/अभियक्त के विरुद्ध आरोप गठित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नहीं है एवं न ही आवेदक के विरुद्ध लगाया गया आरोप बनता है। इन कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को इस वाद से उन्मोचित करने का निवेदन किया गया है।

सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल कर निवेदन किया गया है कि अभिलेख एवं वाद दैनिकी में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के उपरोक्त आवेदन को खारिज करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन करने की कृपा की जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा 376, 420 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है एवं उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोप है। अनुसन्धानकर्ता द्वारा अनुसन्धानोपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 420/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं आरोप पत्र, वाद दैनिकी एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात निचली अदालत द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 376 भा0 द0 वि0 में संज्ञान लेते हुये आवेदक/अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत किया गया है। वाद दैनिकी में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है एवं विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि दूर–दूर तक सन्देह होने पर भी आरोप का गठन किया जा सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यो, परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करना न्यायोचित नहीं समझता है। अतः आवेदक/अभियुक्त की तरफ से दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है। दिनांक _____ को आरोप गठन हेतु अभियुक्तगण न्यायालय में सदेह उपस्थित रहे।

लेखापित एवं शुद्धित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट,
व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय।